लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2326

01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

2326. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा पीएसयू-वार कितना लाभ अर्जित किया गया है अथवा उन्हें हानि हुई है;

(ग) क्या इस्पात उद्योग में आई मंदी से देश की इस्पात कंपनियों का कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): भारत में दो सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात विनिर्माण कंपनियां नामश: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हैं। इस्पात मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इन बैठकों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के ऐसे मामलों को चिन्हित/फ्लैग्ड किया जाता है और उन पर आगे कार्रवाई की जाती है जोकि अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारों के साथ भी उठाए जाने के लिए लम्बित होते हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित लाभ/ हानि के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(करोड़ रूपये में)

पीएसयू का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
सेल	2616	2093	(-)4137
आरआईएनएल	367	62	(-)1421

(ग) और (घ): वर्तमान में भारतीय इस्पात उद्योग अत्यधिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व स्तर पर मांग में कमी होने और क्षमता की अत्यधिकता होने के परिणामस्वरूप इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश मूल्य निर्धारण की अपहरक रणनीति अपना रहे हैं और प्राय: अपनी उत्पादन लागत से कम कीमतों पर भारत में अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। परिणामत: घरेलू उत्पादकों ने अपने लाभ मार्जिन कम करते हुए कीमतों को काफी कम किया है।

(ड़): भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) 173 इस्पात टैरिफ लाईनों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है ताकि घरेलू उत्पादकों को उनके नुकसान जैसा कि उत्पादकों के मार्जिन में गिरावट से स्पष्ट होता है, के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिल सके।

(ii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से) किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत (7.5 प्रतिशत से) किया गया है। इसे अगस्त, 2015 में पुन: संशोधित किया गया है। वर्तमान में आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टील उत्पादों पर 10 प्रतिशत लागू है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, दिसम्बर, 2015 में इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 संशोधित किया गया है।

(v) स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vi) 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर मार्च, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

***